# अध्याय 6

# कार्यवाही का अभिलेख

## नियम 53 : न्यायालय डायरी

(1) न्यायालय अधिकारी द्वारा डायरी रखी जाएगी जिसमें **जीएसटीएटी सीडीआर–02** प्ररूप में दी गई सभी जानकारी सम्मिलित होगी, जैसा कि प्रत्येक अपील या याचिका या आवेदन में निर्दिष्ट किया जाए और उन्हें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा।

(2) मुख्य फाइल में डायरी में अपील या याचिका या आवेदन का संक्षिप्त इतिहास, उस पर पारित आदेश का सार और निष्पादन कार्यवाही में, आदेश या निर्देश या नियम के निष्पादन में सभी कार्यवाही का पूरा रिकॉर्ड होगा और इसे उप रजिस्ट्रार या सहायक रजिस्ट्रार द्वारा जांचा जाएगा और पखवाड़े में एक बार आरंभ किया जाएगा।

www.cggst.com